आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 269/इंदौर/2020

श्री जीनशाशन सेवा शिक्षा संस्कार संकुल ट्रस्ट, उज्जैन	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएमटीएस 1801 आर		
अपीलार्थी की ओर से :		सर्वश्री सी.पी.रावका तथा वीनस रावका, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :		श्री राजीब जैन, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि :		17.08.2021
उद्घघोषणा तिथि :		17.08.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 के साथ पठित धारा 80 जी (5)(vi) के अधीन आदेश दिनांक 09.03.2020 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं । यह अपील 107 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति के कारण निर्धारिती समय पर अपील दाखिल नहीं कर पाया । अतः

उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने निर्धारिती ट्रस्ट को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर दिए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारी के आदेश पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारी के आदेश का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती

को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 17.08.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 17.08.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल